सीमाशुल्कप्रधानआयुक्तकाकार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS

हवाईअड्डाऔरएयरकार्गोकॉम्प्लेक्सआयुक्तालय / **AIRPORT AND AIR CARGO COMPLEX COMMISSIONERATE**

एयरइंडियासाट्सएयरफ्रीटटर्मिनल, दूसरातल, देवनहल्ली, बेंगलूर

AIR INDIA SATS AIR FREIGHT TERMINAL 2ND FLOOR: KIAP: DEVANAHALLI BENGALURU– 560300 080-22001463/64

लोक सूचना सं/ PUBLIC NOTICE. NO.16/2020 दिनांक /DATE: 16.04.2020

विषय सीमा शुल्क आधि नियम 1962 के नियम एवं जारी किए गए विनियमन के अधीन समय सीमा को बढ़ाने के संबंध में

Sub:Extensionoftimelimitsunder CustomsAct,1962andRules And Regulations issued there under-reg

सभी आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, सीमाशुल्क ब्रोकर्स, एयर लाईन्स , सामान्य व्यापार, एवं अन्य फनधारियों का ध्यान कराधान की धारा 6 एवं अन्य विधि (कुछ प्रावधानोंके छूट) आधायादेश 2020 (दिनांक 31.03.2020को भारत के राजपत्र द्वारा जारी किया गया , संलग्नित) जिसमें यह प्रावधान दिया गया था कि, सीमा शुल्क 1962 या सीमा शुल्क टारीफ अधिनियम 1975 में विशिष्टित या निर्धारित समय सीमा को जो 20 मार्च 2020 एवं जून 2020 के बीच की अवधि में , या किसी अन्य दिनांक के अंदर निपटान या अनुपालन, के लिए जो केंद्र सरकार किसी प्रकार की अधिसूचना द्वारा विशिष्टित करता है कि:

The attention of the Importers, Exporters, Customs Brokers, Airlines, General Trade and allotherstakeholdersisinvitedtoSection6of Taxation and Other Laws(Relaxation *of* Certain Provisions) Ordinance. 2020 (issued vide theGazetteofIndiadated31.03.2020,attached)whereinitisprovidedthatthetimelimit specified or prescribed or notified under the Customs Act, 1962 or Customs Tariff Act,1975whichfallsduringtheperiodfrom20thMarch2020to29thJune2020orsuchother datetheCentralGovernment may,bynotification,specifyforcompletionorcompliance of such action as—

(a) किसी प्राकार की कार्यवाही, आदेश, नोटिस, सूचना, अधिसूचना , मंजूरी, अनुमोदन, जो भी नाम से माना जाता है और किसी भी अधिकारी , आयोग, प्राधिकरण, किसी भी नाम से माना जाता है , द्वारा उसका समापन या जारी, किया जाता है ,
Completion of any proceeding or issuance of an order, notice, intimation, notification or sanction or approval by whatever name called, by any authority, commission, tribunal, by whatever name called;or

(b) एक अपील उत्तर या आवेदन दायर करने , किसी प्रकार के रिपोर्ट , दस्तावेज़, रिटर्न, या आंकड़े प्रस्तुत करने , जिस नाम से माना जाता है
Filing of any appeal, reply or application or furnishing of any report,document,return or *statement,* by whatever name called

ऐसी कार्रवाई के सामापन या अनुपालन समय सीमा पर न होने के बावजूद, अपने आप 30 जून 2020 तक या केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा जून 30 के बाद इस दिशा में विशिष्टित अन्य किसी दिन तक निलंबित रहेगा ।

shall notwithstanding that completion on compliance of such action has not been *made* within such time, stand extended to the 30thday of June 2020 or such other day after 30thJune 2020, the Central Government may, by notification, specify in this behalf.

Scanned by CamScanner

2. तदनुसार , प्रतिदाय आवेदन,ड्राबैक निर्यात, धारा 74 के अधीन धन वापसी के लिये आवेदन ,कारण बताओ नोटीस/ मांग नोटीस की जारी , लाईसेंस की नवीकरण, और ऐसे सभी कार्रवाई / अनुपालन जो 20.03.2020 एवं 29.06.2020 की अवधि के बीच है वे 30.6.2020 तक बढाया जाता है । उपर्युक्त सभी कार्रवाई के समापन/अनुपालन उदाहरण के लिए है और अधिनियम के अधीन की जानेवाली कुछ प्रमुख कार्रवाई से संबंधित है। इस अधिनियम के अधीन समय सीमा को विशिष्ट करनेवाले अन्य कई प्रकार के प्रावधान एवं उप विधान है । इन समय सीमाओं को भी 30.6.2020 तक बढाई जाती है ।

Accordingly, the time limits in respect of filing of refund application, Drawback Exports, Application for Drawback under Section 74, filing of Appeals. issuance of Show cause/Demand Notices. renewal of licenses and all such actions/compliances in respect of which the last date falls in the period between 20.03.2020and 29.06.2020 stands extended till 30.06.2020. The above-mentioned actions of completion/compliance are for illustration and relate to a few important activities performed under the Act. There are numerous other provisions specifying time limits under the Act as well as subordinate legislation made under the Act, viz., Rules and Regulations made under various provisions of the Act. These time limits also stand extended till30.06.2020.

3. कोविड 19 संकट काल के फलस्वरूप किये गये उपर्युक्त व्यवस्था को सभी निर्यातकर्ता, आयातकर्ता, सीमा शुल्क ब्रोकार्स , एयरलाईन्स , सामान्य व्यापार, एवं अन्य फणधारियों नोट करें और समय सीमा को बढाने के लिए प्राधिकरी से बिना संपर्क करके बढाई गयी समय सीमाओं को उपयोग करें ।

All the Importers, Exporters, Customs Brokers, Airlines, General Trade and allotherstakeholdersto note the above dispensation made because of the COVID-T9 crisis and utilise the extended time limits without having to approach the authorities for an extension oftime.

4. अधिकारियोंएवंकर्मचारियोंकेलियेइसलोकसूचनाकेनिर्णयोंकेआधारपरकीजानेवालीकार्रवाईकेलियेयह स्थायीआदेशकीतरहमानाजायेगा।

Action to be taken in terms of decisions taken in this Public Notice will be considered as Standing Order forofficers/staff.

5. इसमामलेमेकोईभीतकलीफहोतो,श्रीनासरखान,अपरआयुक्त,कोदूरभाषसं080-27688258 द्वारा, ई मेलपताnasser.khan@nic.in. मेंसूचितकरसकतेहैं। Difficulties, if any, may please be brought to the notice of Sri.Nasser Khan, Additional Commissioner, Telephone No.080-27688258 Email-nasser.khan@nic.in.

अशोक 16/04/2020

(अशोक/ ASHOK)

प्रधान आयुक्त /PRINCIPAL COMMISSIONER

--

फाईलसंC.No.VIII/48/97/2020 BACC TECHभाग फाईल के तहत जारी की जा रही है /Issued from File C.No.VIII/48/97/2020 BACC TECHPt file

प्रतिप्रस्तुत /Copy submitted to:

मुख्यआयुक्त, सीमाशुल्कबेंगलूरु, बेंगलूरुअंचल, केंद्रीयराजस्वभवन, बेंगलूरु / The Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone, C.R. Building , Bengaluru

प्रतिप्रेषित/Copy to:

1) सभीअपर/ संयुक्त/उप/सहायकआयुक्तएयरपोर्टएवंएसीसीआयुक्तालय/ All the ADCs/JCs/DCs/ACs, Airport & ACC Commissionerate, Bengaluru;

Scanned by CamScanner

2) फेडरेशनआफकर्नाटका, चैंबरऑफकामर्स, सं9996 , कैंपेगौडारोड, गाँधीनगर, बेंगलूरु
Federation of Karnataka, Chamber of Commerce & Industry (FKCCI), No.9996, Kempegowda Road, Gandhinagar, Bengaluru

3) बेंगलूरुसीमाशुल्कबोकार्सएजेंटसंगटन, सं71., कार्गोविल्लेज, बी-ब्लाक, बेंगलूरुअंतर्राष्ट्रीयएयरपोर्ट,देवनहल्ली, बेंगलूरु / Bangalore Customs Brokers Agents Association
4) सभी एयर लाइंस उनके संगठन द्वारा/ All Airlines through Association.
5) फेडरेशनआफइंडियनएक्सपोर्टआरर्गनाईसेशन, (एफ.आई.एफ.ओ,) पहलातल, वी.आई.टी.सी, भवन, कस्तूरिबारोड, बेंगलूरु।Federation of Indian Export Organisation (FIFO), IstFloor, VITC Building, Kasturba Road, Bengaluru
6) सभी संरक्षकों/All Custodians.
7) बेंगलूरुसीमाशुल्कवेबसाईट /Bengaluru Customs Website
8) सूचनापट्ट /Notice Board.
9) बेंगलूरुसेप्रचलितसभीकोरियरएजेन्सी /All Courier Agencies Operating at Bengaluru (कोरियरसंगठ्नद्वारा/ through Courier Association)
10) मास्टरफाईल /Master file.

Scanned by CamScanner